लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
099/2021 (GCMS 2021/458)	18.10.2021	24.11.2021

अनवान

राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 12.09.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./099/2021(सू.अ.)(24.11.2021) से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 24.11.2021 से पूर्व कर्मेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 24.11.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान–बुझकर उसके द्वारा चाही गई सूचनाऐं आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई हैं अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/सू.अ./2021/1237 दिनांक 22.11.2021 से कर्मेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1. यह कि बिन्दु संख्या 1 से जो दस्तावेज चाहे गए उसमें पत्रावली के वर्ष/माह व अन्य जानकारी स्पष्ट नहीं होने व आराजीवार पृथक से कोई रिकार्ड संधारित नहीं होने से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
2. यह कि बिन्दु संख्या 2 से जो दस्तावेज चाहे गए उसमें पत्रावली के वर्ष/माह व अन्य जानकारी स्पष्ट नहीं होने व आराजीवार पृथक से कोई रिकार्ड संधारित नहीं होने से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
3. यह कि बिन्दु संख्या 3 में वांछित दस्तावेज का विवरण काल्पनिक होने से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सु.अ.प्र./06 जयपुर, दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 अनुसार देय नहीं है।
4. यह कि बिन्दु संख्या 4 से जो दस्तावेज चाहे गए उसमें पत्रावली के वर्ष/माह व अन्य जानकारी स्पष्ट नहीं होने व आवेदनकर्ता व फर्म के नामजद पृथक से कोई रिकार्ड संधारित नहीं होने से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
5. यह कि बिन्दु संख्या 5 से फोटोग्राफ्स की प्रतिलिपि चाहे गयी है जो कि रिकार्ड में संधारित नहीं होने से नहीं दी जा सकी।
6. यह कि बिन्दु संख्या 6 में वांछित दस्तावेज का विवरण काल्पनिक होने से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सु.अ.प्र./06 जयपुर, दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 अनुसार देय नहीं है।

अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् वांछित सूचनाओं से संबंधित रिकॉर्ड तलब किए गए जो अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा आज ही जरिये प्रतिनिधि प्रस्तुत किया गया जो रिकॉर्ड पर होकर पत्रावली के हमकिता है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/सू.अ./2021/1237 दिनांक 22.11.2021 से प्रेषित कमेंट्स एवं तलब किए गए रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार **"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"** अतः प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 3,5 व 6 द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराना संभव नहीं है। किन्तु बिन्दु संख्या 1, 2 व 4 में वर्णित सूचना के संबंध में लोक सूचना

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचना/जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील अपीलांट को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अपीलार्थी को अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं दिलाया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि वह अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1, 2 व 4 की सूचनाओं के संबंध में समस्त रेकार्ड का अपीलार्थी को संतुष्टीपूर्वक अवलोकन हेतु पर्याप्त समय दिलाया जाकर, बाद अवलोकन अपीलार्थी द्वारा सूचनाऐं चिह्नित करने पर अपीलार्थी द्वारा चिह्नित की गई सूचनाओं की प्रति निः शुल्क उपलब्ध कराई जाकर पालना से अवगत कराया जावें।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावें। एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>24.11.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official